सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

फर्द अहकॉम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओं.) षिव जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :— श्री नानूराम सैनी आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गिरधरसिह पुत्र राणसिंह, जाति— राजपुत नि0 मंगलसर (आंरग), तह0 शिव।		1. आईदानसिंह, 2. डूंगरसिंह, 3. नवलसिंह पि0 राणसिंह, 4. श्रीमती रेखाकंवर पत्नी राणसिंह, जाति— राजपुत, नि0 मंगलसर (आंरग) तहसील शिव। 5. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू। 6. राज0 राज्य तहसीलदार एवं पदेन उप पंजियक शिव।

राजस्व आवेदनः— 313/ 2018   राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 रा0 का0 अधि0।

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
29/11/18	प्रार्थी के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी का खेत ख0 न0 395/273 रकबा 100.00 बीघा मौजा मंगलसर पटवार मण्डल आंरग तहसील शिव मे आया हुआ है जिसमे प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपनी संयुक्त आय से एक कृषि कुआ एवं कृषि विधुत कनेक्शन लिया हुआ है। उक्त कृषि कुआ समस्त पक्षकारान ने अपने भविष्य के लाभ के लिए संयुक्त रूप से व संयुक्त आय से खुदवाया था जो सामलाती है किन्तु वर्तमान में विप्रार्थीगण, प्रार्थी को इस सामलाती कृषि कुएं व कृषि विधुत कनेक्शन से वंचित करने व उपयोग व उपभोग मे बाधा पेदा कर रहे है अगर विप्रार्थीगण अपने इस मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को भविष्य में न पुरी हो सकने वाली अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वाद के निर्णय तक विप्रार्थीगण के विरूध मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने के आशय का स्थगन आदेश जारी किया जावे। हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी तौर से स्वीकार किया जाकर खेत ख0 न0 395/273 रकबा 100.00 बीघा मौजा मंगलसर पटवार मण्डल आरंग तहसील शिव की भूमि के संबंध में विप्रार्थीगण के विरूध मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने के आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। फर्द अहकाम जारी हो। विप्रार्थीगण को स्थागन के नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.12.2018 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:03:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय समय में प्रार्थी व प्रार्थी वकील को रुक-रुककर आवाजें दी जाने के बावजूद अनुपस्थित। अतः पत्रावली में कोई प्रभावी पैरवी नहीं होने तथा प्रार्थी व प्रार्थी वकील के अनुपस्थित रहने पर उक्त आवेदन अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:03:44 IST
Reason: SelfAttested